(15)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म.प्र.)

निगरानी क्रमांक ..../2015

(1) संतोष कुमार सोनी तनय स्व.मंगल प्रसाद सोनी उम्र 45 वर्ष निवासी बस स्टेण्ड के सामने मैहर जिला सतना (म.प्र.)

(2) बालमुकुन्द तनय राधिका प्रसाद द्विवेदी उम्र 58 वर्ष निवासी स्टेशन रोड उचेहरा थाना/तह. उचेहरा जिला सतना (म.प्र.) ... आवेदकगण/निगराकार

बनाम

(1) पवन सिंह तनय जागेश्वर सिंह साकिन चोरहटा तह.हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

(2) शासन म.प्र. ... अनावेदक/गैरनिगराकार

श्री .... एड द्वारा आज दिनांक .... के प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल कुसेड़ी तह.मैहर जिला सतना म.प्र. के प्र.क्र. 02अ12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 19.01.15 के विरूद्ध।
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर,

आवेदक/निगराकार की ओर से निम्न निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जिससे संबंधित तथ्य निम्नानुसार हैं :-

(1) यह कि आवेदक क्र.1 मैहर जिला सतना का निवासी होकर सोने चांदी के जेवर बेचने का कार्य करता है तथा आवेदक क्र.2 उचेहरा जिला सतना का निवासी होकर व्यापार करता है।

(2) यह कि आवेदकगणों के हक मालकाना की आराजी नंबर 2577/2 रकवा 0.241 हे. लगान 1.16 रूपये मौजा बेरमा प.ह.नं.31 तहसील मैहर जिला सतना म.प्र. की आराजी है जिसे आवेदकगणों ने दिनांक 20.05.11 को पूर्व स्वामी बुद्धा साहू से खरीद कर मौके से कब्जा प्राप्त कर उसमें टमाटर और करेला की खेती ठेके पर कराते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी में से 0.040 हे. का राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अधिग्रहण कर लिये जाने के बाद अब आवेदकगणों के नाम पर आराजी नंबर 2577/2/1 रकवा 0.201 हे. शेष है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2827–दो/15 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित होकर राजस्व निरीक्षक मण्डल कुसेड़ी तहसील मैहर जिला सतना के प्रकरण कमांक 02/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19.1.2015 के विरूद्व यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा 5 का आवेदन, शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 6 माह विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधनकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। अदस्य	